डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 377/2025

विपिन कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामधन जाति जाट नि. दीनगढ़ तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. सुमन पुत्री श्री महेन्द्र कुमार पत्नी श्री राकेष कुमार जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.
3. गरिमा पुत्री श्री महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. जगदीश पुत्र श्री रामधन जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. हंसराज पुत्र श्री रामधन जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.
6. शान्ति देवी पुत्री श्री रामधन पत्नी श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बैरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक 16 एम.के.एस. के खाता सं. 91/117 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से, वादी के ताया प्रतिवादी सं. 4 व 5 के नाम से एवं वादी की स्व. दादी मीरा पत्नी श्री रामधन के नाम से 15/45 हिस्सा अर्थात् 0.2063 है. कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतका मीरा पत्नी रामधन का नाम कलमजन करने व इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 5 डी.एन.जी. के खाता सं. 94/72 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से, वादी के ताया एवं बुआ प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के नाम से एवं वादी की मृतक दादी मीरा देवी पत्नी श्री रामधन के नाम से 0.253 है. कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 6 एवं मृतका मीरा पत्नी रामधन का नाम कलमजन करने एवं इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 14 एम.के.एस. के खाता सं. 85/76 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से, वादी के ताया प्रतिवादी सं. 4 व 5 के नाम से एवं वादी की स्व. दादी मीरा देवी पत्नी श्री रामधन के नाम से 15/45 हिस्सा अर्थात् 1.5006 है. कृषि भूमि में से वादी को 1/45 हिस्सा अर्थात् 0.1000 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 को 1.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

0004 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतका मीरा देवी पत्नी श्री रामधन का नाम कलमजन करने तथा इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 4 ए.एम. पी. के खाता सं. 117/89 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से, वादी के ताया प्रतिवादी सं. 4 व 5 के नाम से एवं वादी की स्व. दादी मीरा देवी पत्नी श्री रामधन के नाम से 3.238 है. कृषि भूमि में से वादी को 1/15 हिस्सा अर्थात् 0.2158 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 को 2.1586 है. कृषि भूमि के ब. हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतका मीरा देवी पत्नी श्री रामधन का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोटः– प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उंक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज......X......नल........X.....मुब्लिक.......X......निल.....X......बाबत्........X.....निल.......X......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक............ अंदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.9.2021........................को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया